न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
प्रकरण संख्या :– 130/2017 (RCMS No. :- 2017/00189)
उनवानी प्रकरण :–
राजवीर पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी दुल्ली का पुरा, अलीगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर
2. प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग धौलपुर———————————————रेस्पोडेन्टस।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.08.17 द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर व उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजवीर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत अलीगढ 1/3 भाग तहसील बाडी

उपस्थिति :–

1. अपीलॉट की ओर से :– श्री रनवीर सिंह परमार अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर, सहायक लोक अभियोजक प्रथम ।

निर्णय दिनॉक 23.02.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.08.2017 से असंन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन अधिकारी मौहनलाल देव द्वारा अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण दिनांक 29.11.2016 को किया। निरीक्षण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कमी अंकित की कि वक्त निरीक्षण दुकान बन्द पाई गई, दुकान बन्द रखने बावत कोई लिखित साक्ष्य नही पाया गया और नाही कोई सूचना सम्बन्धित विभाग को दी गई। वितरण स्थल पर मूल्य एंव स्टॉक प्रदर्शन पट्ट नही दर्शाया। वितरण स्थल पर एनएफएसए की सूचियां एंव जिला कलक्टर व जिला रसद अधिकारी के दूरभाष नम्बर अंकित नही पाये गये। वक्त जांच उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जांच में गेहूं दिया जाना अंकित नही पाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलान्ट को प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया तथा अपीलान्ट ने उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया जवाब में अंकित किया

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कि रिश्तेदारी में अचानक गमी हो जाने के कारण सूचना नही दे पाया और सूचना पट्ट पर अंकित करना भूल गया। स्टॉक का प्रदर्शन बोर्ड पर हो रहा था और उसी बोर्ड पर जिला कलक्टर एंव जिला रसद अधिकारी के दूरभाष नम्बर अंकित थे। खाद्यसुरक्षा सूची दीवार पर बाहर चिपका दी गई थी जिसे किसी बच्चे ने फाड दिया होगा अब दुबारा चिपका दिया गया है। जिन उपभोक्ताओ ने गेंहू नही दिये जाने की शिकायत की उन उपभोक्ताओ के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नही है और गेंहू की मांग करते है। शिकायत झूठी व बेबुनियाद है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपीलान्ट को पॉश एंव स्टाक 40.40 क्वि. गेंहू का हस्तान्तरण श्रीमती शीला देवी उ0मू0 दुकानदार वार्ड संख्या 27 शहर बाडी को करने हेतु लिखा लेकिन उ0मू0 दुकानदार वार्ड संख्या 27 बाडी ने लेने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट का पात्र उपभोक्ताओं में वितरण नही कर गम्भीर अनियमितता किया जाना गलत रूप से मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कतई गलत है। आदेश जेर अपील पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

अपीलॉट ने अपनी अपील के समर्थन में जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.08.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि, आदेश 1533 दिनांक 11.08.2017 की प्रमाणित प्रति, विज्ञप्ति दिनांक 13.10.2017 की प्रमाणित प्रति एंव माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 09.01.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की रिश्तेदारी में अचानक गमी हो जाने के कारण अपीलान्ट को वहां जाना पडा जिसके कारण सूचना नही दे पाया तथा सूचना पट्ट पर अंकित करना भूल गया। स्टॉक का प्रदर्शन बोर्ड पर हो रहा था और उसी बोर्ड पर जिला कलक्टर एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर के दूरभाष नम्बर अंकित थे। खाद्य सुरक्षा सूची दीवार पर बाहर चिपकी हुई थी जिसे किसी बच्चे ने फाड दिया होगा। जिन उपभोक्ताओ ने गेंहू नही दिये जाने की शिकायत की उन उपभोक्ताओ के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नही है। शिकायत झूठी व बेबुनियाद है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपीलान्ट को पॉश एंव स्टाक 40.40 क्वि. गेंहू का हस्तान्तरण श्रीमती शीला देवी उ0मू0 दुकानदार वार्ड संख्या 27 शहर बाडी को करने हेतु लिखा लेकिन उ0मू0 दुकानदार वार्ड संख्या 27 बाडी ने स्टॉक लेने से इन्कार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 20648/2017 राजवीर सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय 09.01.2018 की प्रति पेश करते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय ने रिट पिटीशन का निस्तारण करते हुए निर्देश दिये है कि " this writ petition is disposed of with direction to the Collector to hear and decide the appeal within a period of two months from the date of reciept of copy of this order and till then , authorisation of fair price shop of the area in question would not be finalised by the respondents to avoid any complication." अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.08.2017 निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट की उ0मू0 दुकान का निरीक्षण दिनांक 29.11.2016 को रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान बन्द पाई गई तथा दुकान बन्द रखने बावत कोई लिखित साक्ष्य नही पाया गया और ना ही कोई सूचना संबधित विभाग/अधिकारी को दी गई। वितरण स्थल पर मूल्य एंव स्टॉक प्रदर्शन पट्ट नही दर्शाया गया। तथा वक्त जांच उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जांच में गेहू दिया जाना नही पाया गया। अपीलान्ट को पॉश मशीन एंव स्टॉक 40.40क्वि. गेहू का हस्तान्तंरण श्रीमती शीलादेवी उ0मू0 दुकानदार वार्ड 27 शहर बाडी को करने हेतु आदेशित किया गया परन्तु अपीलान्ट द्वारा पॉश एंव स्टॉक का हस्तान्तरण नही किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नही की है कि श्रीमती शीलादेवी उ0मू0 दुकानदार वार्ड 27 शहर बाडी ने पॉश एंव स्टॉक लेने से इन्कार कर दिया हो। इस प्रकार अपीलान्ट ने गेहूँ का पात्र उपभोक्ताओ में वितरण नही कर गम्भीर अनियमितता की है। अपीलान्ट द्वारा अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.08.2017 यथावत रखा जावे ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण दिनांक 29.11.2016 को किया गया।
2. निरीक्षण के दौरान दुकान बन्द पाई गई। दुकान बन्द रखने का कोई लिखित साक्ष्य नही पाया गया और ना ही कोई सूचना संबधित विभाग/अधिकारी को दी गई। इस तथ्य के समर्थन में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कोई मौखिक एवं लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की ।
3. निरीक्षण के समय वितरण स्थल पर मूल्य एंव स्टॉक प्रदर्शन पट्ट दर्शाया जाना नहीं पाया गया। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपने जबाव में स्वीकार किया है ।
4. दौराने जॉच यह कमी पाई गई कि अपीलान्ट ने बोर्ड पर जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी के नम्बर अकिंत नहीं मिले । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जिस बोर्ड पर मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन हो रहा था उसी बोर्ड पर जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी ने दूरभाष

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

नम्बर अकिंत थे इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने अपने समर्थन में कोई मौखिक या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ।

5. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक का यह कथन कि जिन उपभोक्ताओं ने गेहूँ नहीं दिये जाने की शिकायत वक्त निरीक्षण की है उन उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरुक्षा सूची में नहीं है उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस कथन की पुष्टि में अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया है ।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को पॉश मशीन एंव स्टॉक 40.40 क्वि. गेहू का हस्तान्तंरण श्रीमती शीलादेवी उ0मू0 दुकानदार वार्ड 27 शहर बाडी को करने हेतु चार बार पत्र जारी कर आदेशित किया गया परन्तु अपीलान्ट द्वारा पॉश एंव स्टॉक का हस्तान्तरण नही किया। इस तथ्य के सम्बन्ध में अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने तर्क किया कि श्रीमती शीला देवी उ0मूल्य दुकानदार वार्ड 27 शहर बाडी ने पॉश मशीन एवं गेहूँ लेने से इन्कार कर दिया था सही नहीं है क्यांकि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य या सवूत पेश नहीं किये गये हैं ।
7. अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है ।
8. अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.8.2017 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रवली के साथ वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर